डाक पंजी. क्र. ग्वालियर डिवीजन
एम.पी.-19- ग्वालियर-2011-13

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2012-ज्येष्ठ 25, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है कि मैं, रामनाथ माथुर पुत्र स्व. श्री गोकुल, निवासी ग्राम डोंगरपुर (सबलगढ़) पोस्ट तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सबलगढ़ के सेक्टर टैटरा उप स्वास्थ्य केन्द्र, जावरौल में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के पद पर स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हूँ, का पूर्व नाम रामनाथ जाटव था और इसी नाम से मैंने सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण की है तथा आज तक समस्त संव्यवहारों एवं शासकीय सेवा में इसी नाम का उपयोग करता रहा हूं. अब मैं, अपने पूर्व नाम रामनाथ जाटव के स्थान पर रामनाथ माथुर नाम से जाना, पहचाना जाता रहूँगा तथा इसी नाम से हस्ताक्षर करूँगा.

पुराना नाम :

(रामनाथ जाटव)

नया नाम :

(रामनाथ माथुर)

(55-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम जुल्फकार हुसैन था. जो अब परिवर्तित होकर मुर्तजा जावदवाला हो गया है. अत: भविष्य में मुझे मेरे नये नाम मुर्तजा जावदवाला के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(जुल्फकार हुसैन)

नया नाम :

(मुर्तजा जावदवाला)
पता—16, सैफी कॉलोनी,
माणिक बाग रोड, इन्दौर.

(56-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Reena Chhabra, here by declare that I, Have change my name as Tarandeep Kaur Chhabra W/o Charanjeet Singh Chhabra, so from Now and in future. I will be known by new name.

Old Name :

(REENA CHHABRA)

New Name :

(TARANDEEP KAUR CHHABRA)
W/o Charanjeet Singh Chhabra,
401, Prathvi Regency,
2, Dubey Colony, Indore (M.P.).

(57-B.)

नाम परिवर्तन

बचपन में हमारी बच्ची का नाम महक बलवानी था, जिसे स्कूल में बदलकर साशा बलवानी (Saasha Balwani) कर लिया था, अब नये नाम से जाना, पहचाना जावे.

मनीष बलवानी (पिता)
Manish Balwani
BP-72 Lake Pear Garden
Airport Road, Bhopal, (M. P.)

(58-बी.)

नाम परिवर्तन

शादी पूर्व मेरा नाम पूनम कुमारलाल चुघ था, जिसे शादी बाद बदलकर रोनक पंजवानी कर लिया है, मुझे रोनक पंजवानी नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(पूनम कुमारलाल चुघ)

नया नाम :

(रोनक पंजवानी)
Ronak Panjwani
HA-56, NRI Colony, VIP Road,
Koh-E-Fiza, Bhopal (M. P.)

(59-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी

दिनांक 17 मई, 2012

प्र. क्र./ /बी-113 (1)/2011-2012.

प्रारूप-तृतीय

[नियम 5 (1) देखिये]

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, सिवनी, जिला सिवनी के समक्ष यह कि आवेदक प्रबंध न्यासी ब्रम्हर्षि स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज सिवनी तहसील व जिला सिवनी ने "श्री विद्या निकेतन मंगलीपेठ शिव मंदिर सिवनी" का लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 11 जून, 2012 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता तथा लोक न्यास की चल व अचल सम्पत्ति का ब्यौरा)

1. लोक न्यास का नाम . . "श्री विद्या निकेतन मंगलीपेठ शिव मंदिर मिक्नी".
2. चल सम्पत्ति . . 2,000.00 (रुपये दो हजार रुपये)
3. अचल सम्पत्ति . . निरंक.

सी. एस. शुक्ला,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(249)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

"श्री माहेश्वरी मेवाड़ा सार्वजनिक ट्रस्ट, इन्दौर" कार्यालय 7-ए, स्नेह नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक श्री बनवारीलाल माहेश्वरी पिता स्व. श्री रामकुवार माहेश्वरी, निवासी 19/1 साउथ तुकोगंज, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : "श्री माहेश्वरी मेवाड़ा सार्वजनिक ट्रस्ट, इन्दौर".

पता : 7-ए, स्नेह नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश.

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : रुपये 1100/- (अक्षरी रुपये एक हजार एक सौ मात्र)

आज दिनांक 17 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(250)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट काउसिंल ऑफ इण्डिया (सूचना प्रौद्योगिकी विकास परिषद्, भारत)'' कार्यालय 2, आलोक अपार्टमेंट 21/2 मनोरमागंज इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक प्रोफेसर श्री राकेश पिता सूरज भान चोपड़ा निवासी 2, आलोक अपार्टमेन्ट 21/2, मनोरमागंज इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	''इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट काउसिंल ऑफ इण्डिया (सूचना प्रौद्योगिकी विकास परिषद्, भारत)''
पता	:	2 आलोक अपार्टमेंट 21/2 मनोरमागंज इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रुपये 1100/- (अक्षरी रुपये एक हजार एक सौ मात्र)

आज दिनांक 17 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(250-A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''श्री श्रीगौड़ ब्राहम्ण महासभा पारमार्थिक सेवा न्यास इन्दौर मध्यप्रदेश'' कार्यालय 4/5, परदेशीपुरा इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक श्री महेश त्रिवेदी पिता विनायकराव त्रिवेदी, निवासी 4/5, परदेशीपुरा इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : ''श्री श्रीगौड़ ब्राहम्ण महासभा पारमार्थिक सेवा न्यास इन्दौर मध्यप्रदेश''

पता : 4/5, परदेशीपुरा इन्दौर, मध्यप्रदेश.

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : रुपये 26,000/- (अक्षरी रुपये छब्बीस हजार मात्र)

आज दिनांक 17 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

वंदना पराशर,
रजिस्ट्रार.

(250-B)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, इटारसी

इटारसी, दिनांक 27 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 एवं 1962 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./507/अविअ/पं./2012.—चूंकि स्वर्गीय भैया जी चन्नै स्मृति सेवा न्यास, इटारसी की ओर से श्री राधेश्याम बल्द भवानीशंकर रावल, निवासी जुमेराती बाजार, होशंगाबाद, तहसील होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद, सचिव स्वर्गीय भैया जी चन्नै स्मृति सेवा न्यास द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत लोक न्यास के पंजीयन हेतु एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन के अन्दर) इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल / अचल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम .. स्वर्गीय भैया जी चन्नै स्मृति सेवा न्यास, इटारसी.

पता .. स्मृति भवन पुरानी इटारसी, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद, (मध्यप्रदेश).

अचल सम्पत्ति .. तहसील इटारसी में भूखण्ड सर्वे नम्बर 260 शीट नम्बर 50, प्लाट नम्बर 1/5 भवन क्रमांक 6/6 रकवा 15×18= 651 वर्गफुट सम्पत्ति का मूल्य 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार रुपये).

चल सम्पत्ति .. कुछ नहीं.

आज दिनांक 27 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

धनराजू एस.,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(258)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भिण्ड

दिनांक 6 जून, 2012

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./127/अ.वि.अ/शहर/2012.—जैसाकि श्री अवधूत हरीनिवास, निवासी श्री गिरधारी मठ चंबल तट ग्राम चिलोंगा, पोस्ट बिजौरा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशन की तिथि के एक माह बाद विचार में लिया जाएगा. कोई भी व्यक्ति, जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	:	Shri Girdhari Lok Kalyan Nyas.
2.	कार्यालय का पता	:	Village Chilonga, Post Bijora Tehsil Ater, Distt. Bhind, Madhya Pradesh.
3.	अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

जे. पी. सैयाम,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(259)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि ''गिरनार चेरीटेबिल ट्रस्ट'' बी. एम. 125, नेहरू नगर, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 7 जुलाई, 2012 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों, और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम	. .	''गिरनार चेरीटेबिल ट्रस्ट''.
2.	अचल सम्पत्ति	. .	निरंक
3.	चल सम्पत्ति	. .	निरंक

उमाशंकर भार्गव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(261)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जबलपुर

राजस्व प्र. क्र. 7/बी-113/1/11-12.

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

चूंकि श्री पवन कुमार जैन पिता स्व. गुलाब चंद जैन निवासी 127/1, संगम कॉलोनी, जबलपुर द्वारा "श्री चन्द्राप्रभ दिगम्बर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट", संगम कॉलोनी, जबलपुर के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दी गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24 जुलाई, 2012 को विचार के लिए नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है. अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का विवरण, लोक न्यास का नाम और पता)

1.	लोक न्यास का नाम	..	"श्री चन्द्राप्रभ दिगम्बर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट" संगम कॉलोनी, जबलपुर.
2.	चल सम्पत्ति	..	यूको बैंक सिटी जवाहरगंज, जबलपुर खाता नं. 0185110017819 में जमा रुपये 15,74,527.00.
3.	अचल सम्पत्ति	..	ग्राम लक्ष्मीपुर, तहसील जबलपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एम्पलाईज को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. के भू-खण्ड रकवा क्रमश: 5104, 2400, 2400, 780, 1620, 700, 900, 1000 वर्गफुट.

संजय जैन,
पंजीयक.

(260)

न्यायालय रजिस्ट्रार लोक न्यास एवं उपखण्ड अधिकारी, सिंगरौली, जिला सिंगरौली

वैढ़न, दिनांक 28 मई, 2012

प्र. क्र./01/न्यास/2012.

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक उपखण्ड सिंगरौली, जिला सिंगरौली के समक्ष.—

यत: कि आवेदक श्री राममनोरथ द्विवेदी पुजारी मोरवा शिवमंदिर जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक सेवा न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने एवं शासनाधीन चलाये जाने के लिये आवेदन किया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	. .	मोरवा शिवमंदिर जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
पता	. .	कार्यालय, तहसीलदार सिंगरौली.
सम्पत्ति का विवरण	. .	दान एवं अनुदान.

नन्दलाल सामरथ,
पंजीयक एवं उपखण्ड अधिकारी.

(262)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सुमराखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 1057, दिनांक 3 मार्च, 1947 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./11/858, दिनांक 4 जून, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., उज्जैन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3981, 27 जनवरी, 2012 से अवगत कराया गया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सुमराखेड़ा की वसूली दिनांक 30 जून, 2011 की स्थिति पर 67 प्रतिशत हो चुकी है. अतः संस्था का परिसमापन को समाप्त किया जावे. संस्था के आमसभा के प्रस्ताव क्रमांक.....दिनांक 14 मार्च, 2012 के द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का निवेदन किया है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक 858, दिनांक 4 जून, 2011 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सुमराखेड़ा, जिला उज्जैन पंजीयन क्रमांक डी.आर./यू.जे.एन./1057, दिनांक 3 मार्च, 1947 को पुनर्जीवित करता हूँ. सहकारिता विस्तार अधिकारी, तराना को आगामी आदेश तक के लिए संस्था का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि प्रभारी अधिकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन नियमानुसार समय-सीमा में पूर्ण करावें.

यह आदेश आज दिनांक 18 मई, 2012 को कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(273-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक/डी.आर.एच./2926, दिनांक 19 अप्रैल, 2007 है, का गठन कार्यालयीन आदेश क्रमांक/पंजीयन/2007/470, दिनांक 19 अप्रैल, 2007 से किया गया था. को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/722, दिनांक 25 अप्रैल, 2012 द्वारा निम्नलिखित कारणों से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किये जाकर 15 दिवस के अन्दर पक्ष समर्थन करने हेतु निर्देश दिये गये थे.

उपरोक्त आदेश की कंडिका क्रमांक-3 में यह शर्त थी कि संस्था को पंजीयन दिनांक से 1 वर्ष के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक होगा. परन्तु संस्था के पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक लगभग 5 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद संस्था द्वारा अपना कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है. यहां तक कि संस्था के द्वारा आवश्यक अधिकृत पूंजी अधिकृत अंशपूंजी 60 करोड़ के विरुद्ध मात्र 26.42 लाख रुपये ही प्रदत्त अंशपूंजी के रूप में एकत्रित किये गये हैं. इससे प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि संस्था के द्वारा युक्तियुक्त समयावधि में न तो कार्य करना प्रारम्भ किया गया है और न ही प्रारम्भ करना संभव है. मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2-क) में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि सोसायटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया हो तो सोसायटी का परिसमापन कर दिया जायेगा.

सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, होशंगाबाद से समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ. अत: मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां, जो मुझे प्रदत्त की गई हैं, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की दायित्व एवं परिसम्पत्तियों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अनिल कुमार,
उप-पंजीयक.

(251)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./1272.—इस कार्यालय के आदेश क्र. 2682, दिनांक 15 जुलाई, 2011 के द्वारा शिवांशु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 233, दिनांक 7 अगस्त, 1981 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती अखिलेष नैन तोमर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त. हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./1273.—इस कार्यालय के आदेश क्र. 2683, दिनांक 15 जुलाई, 2011 के द्वारा अपना घर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 509, दिनांक 12 जनवरी, 1987 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती अखिलेष नैन तोमर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत

किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. के. द्विवेदी, उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-A)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./1274.—इस कार्यालय के आदेश क्र. 2691, दिनांक 15 जुलाई, 2011 के द्वारा गोकुल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 320, दिनांक 21 फरवरी, 1983 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती रीता मिश्रा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. के. द्विवेदी, उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(252-B)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 2690, दिनांक 15 जुलाई, 2011 के द्वारा न्यू मधुवन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 277, दिनांक 29 जनवरी, 1982 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती रीता मिश्र को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. के. द्विवेदी, उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

के. के. द्विवेदी,
उप-पंजीयक.

(252-C)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., रातातलाई तहसील..... जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1064, दिनांक 30 मई, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 251, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 22 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक सहकारी संस्थाए, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री जी. एस. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(253)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सरसौदा तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 277, दिनांक 23 जुलाई, 1976 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 253, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 22 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक सहकारी संस्थाए, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(253-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., तरनावढादेव तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 573, दिनांक 23 नवम्बर, 1984 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 264, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 22 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक सहकारी संस्थाए, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. पी. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री व्ही. पी. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

के. एन. त्रिपाठी,
(253-B) उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 16 मई, 2012

आ. क्र./स्टोर/233.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि रामदास मेहरा, वनरक्षक, बीटगार्ड रातामाटी को पी. ओ.आर. बुक क्रमांक/14187, पृ. क्र. 1 से 25 तक पार्क परिक्षेत्र अधिकारी पचमढ़ी द्वारा प्रदाय की गई थी. पार्क परिक्षेत्र अधिकारी, पचमढ़ी ने अपने पत्र क्रमांक/265, दिनांक 24 मार्च, 2012 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया कि पी. ओ. आर. बुक क्रमांक/14187, पृ. क्र. 1 से 25 तक रामदास मेहरा, वनरक्षक की मृत्यु हो जाने के दौरान गुम हो गई. उक्त पी. ओ. आर. बुक के खोजबीन के समस्त प्रयास असफल रहे. पी. ओ. आर. बुक गुमने की रिपोर्ट पुलिस थाना, पचमढ़ी में पार्क परिक्षेत्र अधिकारी, पचमढ़ी द्वारा दर्ज कराई गई है.

उक्त पी. ओ. आर. बुक क्रमांक/14187 पृ. क्र. 1 से 25 तक अपलेखित की जाती है. उक्त पी. ओ. आर. बुक यदि किसी व्यक्ति को मिले तो वे तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाना, निकटवर्ती वन परिक्षेत्र कार्यालय अथवा वनमण्डल कार्यालय में जमा करावें.

इस विज्ञप्ति के बाद यदि कोई व्यक्ति उक्त पी.ओ.आर. बुक को गुम दिनांक से अनाधिकृत रूप से रखने अथवा प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

अशोक अवस्थी,
(254) उप-संचालक.

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 25 मई, 2012

न्यायिक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., नीमच, जिला नीमच जिसका पंजीयन क्रमांक 115, दिनांक 14 फरवरी, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परि./198, दिनांक 15 मार्च, 2012 द्वारा परिसमापन में लिया जाकर श्री बी. के. सिंह बैस, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

न्यायिक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., नीमच, जिला नीमच को पुनर्जीवित करने हेतु श्री बी. के. सिंह बैस द्वारा पुर्नजीवन करने हेतु की गयी सिफारिश अनुसार संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में रहना एवं उसे पुर्नजीवित करना मेरे मत से उचित है.

अतः मैं, एम. आर. निरगुडे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला नीमच मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-एक-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए न्यायिक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., नीमच, तहसील नीमच, जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक/परि./198, दिनांक 15 मार्च, 2012 को निरस्त करते हुए इस संस्था को पुर्नजीवित करता हूँ तथा संस्था के आगामी कार्य के संचालन हेतु नामांकित सदस्यों की प्रबंधकारिणी कमेटी आगामी तीन माह के लिये नामांकित की जाती है.कमेटी निम्नानुसार है.—

1.	श्री अवधेश कुमार यादव	अध्यक्ष
2.	सुश्री इन्दिरा उपाध्याय	सदस्य
3.	श्री सत्यनारायण नागदा	सदस्य
4.	श्री गोपाल सूत्रकार	सदस्य
5.	श्री धनसुख जैन	सदस्य
6.	श्री ईश्वरलाल खरोड	सदस्य
7.	श्री अजत गोयल	सदस्य
8.	श्री उदयसिंह शक्तावत	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. आर. निरगुडे,
सहायक रजिस्ट्रार.

(255)

कार्यालय परिसमापक सहकारी शक्कर कारखाना, होशंगाबाद

दिनांक 29 मई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./12/02.—सहकारी शक्कर कारखाना, होशंगाबाद तहसील होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.एच./2928, दिनांक 19 जून, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद के आदेश क्रमांक 859, दिनांक 24 मई, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से कार्या. उप आयुक्त/सहायक आयुक्त (अंके.) सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में अंशधारी प्रवर्तक सदस्य अथवा साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(256)

दिनांक 29 मई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./12/02.—सहकारी शक्कर कारखाना, होशंगाबाद तहसील होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद, जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.एच./2928, दिनांक 19 जून, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद के आदेश क्रमांक 859, दिनांक 24 मई, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से कार्या. उप आयुक्त/सहायक आयुक्त (अंके.) सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में अंशधारी

प्रवर्तक सदस्य अथवा साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

व्ही. आर. दुबे,
अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक.

(256-A)

कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, सतना

सतना, दिनांक 10 मई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/562.—कार्यालयीन पत्र क्र./परि./11/1172, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 द्वारा संजय शिक्षक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत संजय शिक्षक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना पंजीयन क्रमांक 621, दिनांक 8 सितम्बर, 1981 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री ठाकुर प्रसाद, व. सह. निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है. साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 10 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(257)

सतना, दिनांक 10 मई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/563.—कार्यालयीन पत्र क्र./परि./11/1173, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 द्वारा जीवन ज्योति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत जीवन ज्योति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना पंजीयन क्रमांक 592, दिनांक 22 दिसम्बर, 1975 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री ठाकुर प्रसाद, व. सह. निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है. साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 10 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(257-A)

सतना, दिनांक 10 मई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/564.—कार्यालयीन पत्र क्र./परि./11/1174, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 द्वारा ओम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ओम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना पंजीयन क्रमांक 620, दिनांक 8 सितम्बर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री ठाकुर प्रसाद, व. सह. निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है. साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 10 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(257-B)

सतना, दिनांक 10 मई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/565.—कार्यालयीन पत्र क्र./परि./11/1175, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना पंजीयन क्रमांक 04, दिनांक 12 जनवरी, 1955 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. पी. सिंह, सह. निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है. साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 10 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(257-C)

सतना, दिनांक 10 मई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/567.—कार्यालयीन पत्र क्र./परि./11/1147, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 द्वारा नूतन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत नूतन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सतना पंजीयन क्रमांक 634, दिनांक 8 फरवरी, 1985 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. पी. सिंह, सह. निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है. साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 10 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(257-D)

सतना, दिनांक 10 मई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/568.—कार्यालयीन पत्र क्र./परि./11/1171, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 द्वारा रेत-पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., नागौद जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत रेत-पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., नागौद पंजीयन क्रमांक 132, दिनांक 24 मई, 1994 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री विक्रम सिंह, सह. निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है. साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 10 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(257-E)

सतना, दिनांक 10 मई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/569.—कार्यालयीन पत्र क्र./परि./11/1170, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 द्वारा हरि. आदि. पत्थर-पटिया खदान सहकारी समिति मर्या., रामपुर पाठा जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत हरि. आदि. पत्थर-पटिया खदान सहकारी समिति मर्या., रामपुर पाठा पंजीयन क्रमांक 249, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है. साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 10 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

संजय नायक,
उप-रजिस्ट्रार.

(257-F)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.

डाक पंजी. क्र. ग्वालियर डिवीजन
एम.पी.-19- ग्वालियर-2011-13

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2012-ज्येष्ठ 25, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 29 फरवरी, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा डिण्डोरी जिले को छोड़कर राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील जिला डिण्डोरी (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला प. निमाड़ व बड़वानी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—

4. **फसल स्थिति.**— जिला मन्दसौर में फसलों पर आंशिक क्षति, पाले से गेहूँ, चना, धनिया व डिण्डोरी में तुअर, मसूर व मटर को पाले से क्षति तथा छिन्दवाड़ा में चने की फसल से कहीं-कहीं इल्लियों का प्रकोप प्रतिवेदित किया गया.

5. **कटाई.**—जिला देवास, हरदा में फसल चना व दमोह में मटर, मसूर व झाबुआ, प. निमाड़ में गेहूँ, चना व भोपाल में चना, मसूर, बैतूल में गेहूँ, गन्ना व सिवनी में रबी फसल लाख, तिवड़ा, मटर, मसूर, चना तथा मण्डला, धार, इन्दौर में रबी फसल की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, सिंगरौली, झाबुआ में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 29 फरवरी, 2012

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) बाजरा, सोयाबीन, राई-सरसों, गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) गेहूँ, चना, जौ, सोयाबीन, अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग-मोठ, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		मूँगफली अधिक. तिल कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) . .		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		अलसी समान.		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ सुधरी	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .		हुई.		
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) गेहूँ, चना, सरसों, धना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. गौरीहार	. .		(2) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, प्याज अधिक. धान, ज्वार, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ, जौ, अलसी, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज सुधरी हुई.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. मटर, मसूर की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		राई-सरसों, तुअर सुधरी हुई.		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर कम. जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		मसूर, सरसों, अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अलसी अधिक. मसूर कम. तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		जौ, चना, गेहूँ, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) . .		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. सेमरिया	. .				
8. रायपुरकर्चुलियान	. .				
9. मनगवां	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. जवा	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		अधिक. अरहर, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
***जिला उमरिया :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पाली	. .		(2) . .		
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		मसूर, तिवड़ा, गेहूँ, जौ समान.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		जौ अधिक. तुअर, मसूर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		मटर समान.		
			(2) . .		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. फसलों पर आंशिक क्षति	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुबासराटप्पा	. .	पाले से प्रभाव गेहूँ, चना,	4. (1) गेहूँ, राई-सरसों, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .	धनिया आंशिक क्षति	ज्वार, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .		(2) . .		
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धडका	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) . .		
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		आलू समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .		(2) . .		
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. चने की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, हरी,मसूर, आलू अधिक. चना, जौ कम. मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोबट	. .		4. (1) चना कम, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	. .	
3. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास, सोयाबीन, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) . .		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) कपास, गन्ना, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड़	. .				
9. बरला	. .				
जिला पूर्व निमाड़ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चने की कटाई का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) गेहूँ, चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		अधिक. गन्ना, चना कम. तुअर	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		समान.		
4. ब्यावरा	. .		(2) . .		
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. चना, मसूर की कटाई का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, गन्ना	चारा पर्याप्त.	
			समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) तुअर, गन्ना अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी,	. .	
3. आष्टा	. .		जौ समान.		
4. जावर	. .		(2) . .		
5. इछावर	. .				
6. नसरुल्लागंज	. .				
7. बुधनी	. .				
8. रेहटी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन : 1. रायसेन 2. गैरतगंज 3. बेगमगंज 4. गोहरगंज 5. बरेली 6. सिलवानी 7. बाड़ी 8. उदयपुरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा (लाख), सरसों, अलसी गन्ना.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला बैतूल : 1. भैसदेही 2. घोड़ाडोंगरी 3. शाहपुर 4. चिचोली 5. बैतूल 6. मुलताई 7. आठनेर 8. आमला	मिलीमीटर	2. गेहूँ, गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मसूर अधिक गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला होशंगाबाद 1. सिवनी-मालवा 2. होशंगाबाद 3. बाबई 4. इटारसी 5. सोहागपुर 6. पिपरिया 7. वनखेड़ी 8. पचमढ़ी	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला हरदा : 1. हरदा 2. खिड़किया 3. टिमरनी 4. हण्डिया 5. रेहटगांव 6. सिराली	मिलीमीटर	2. रबी फसल चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला जबलपुर : 1. सीहोरा 2. पाटन 3. जबलपुर 4. मझौली 5. कुण्डम	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, अलसी, ज्वार सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला कटनी : 1. कटनी 2. रीठी 3. विजयराघवगढ़ 4. बहोरीबंद 5. ढीमरखेड़ा 6. बरही	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. तुअर, मसूर तथा मटर को पाला से क्षति हुई है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	2.8		4. (1) तुअर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. चने की फसल में कहीं-कहीं इल्लियों का प्रकोप है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर, कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी की फसल लाख, तिवड़ा, मटर, मसूर, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, लाख, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा					
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख, तिवड़ा समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला शहडोल, उमरिया, रतलाम से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(248)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.